वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक (कार्यपालिक) एवं जेल विभाग के अन्तर्गत जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक (कार्यपालिक) पदों की सीधी भर्ती परीक्षा–2022–23 के संबंध में आवश्यक सूचना

वनरक्षक एवं क्षेत्ररक्षक (कार्यपालिक) एवं जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक (कार्यपालिक) पदों की सीधी भर्ती परीक्षा 2022–23 हेतु जारी नियमपुस्तिका के अध्याय–1(अ) की कंडिका 1.7(6) के संबंध में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल को आवेदकों से प्राप्त पृच्छाओं के परिप्रेक्ष्य में वन विभाग से प्राप्त पत्र अनुसार यह सूचित किया जाता है कि **वन विभाग के वनरक्षक पदों के लिए आवेदक, आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु एक से अधिक जिलों का प्राथमिकता कम दर्शाते हुए चयन कर सकेगा। आवेदक की मेरिट एवं आवेदित जिलों में से प्राथमिकता कम अनुसार केवल एक जिले हेतु चयन किया जावेगा।** अतः आवेदक उपरोक्तानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित कर सकते हैं।

परीक्षा की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

विज्ञापन क्र.   / 2023 **संचालक**

मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल

Madhya Pradesh Employees Selection Board(MPESB)
'चयन भवन' मैन रोड नं. – 1, चिनार पार्क (ईस्ट) भोपाल – 462011 FAX: +91-0755-2550498, website : www.esb.mp.gov.in

संशोधन 16.02/02/.

शारीरिक माप एवं पैदल चाल हेतु पात्र नहीं होगा। इसके अतिरिक्त संबंधित जिले के नोडल वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय में भी नोटिस बोर्ड पर इनके नाम प्रदर्शित किये जायेंगे। समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

(4) वनरक्षक का पद जिला केडर का पद है अतः मेरिट सूची जिलेवार वरीयता क्रम में बनाई जायेगी। अभ्यर्थी जिन जिलों हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगें, उनके मेरिट में आने पर उन्हीं जिलों में रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।

(6) आवेदक को अपने आवेदन-पत्र में यह दर्शाना होगा कि वह किस जिले के लिये नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा है एवं आवेदक उसी जिले के रिक्त पदों के विरूद्ध प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का पात्र होगा एवं चयनित उम्मीदवारों को उसी जिले में नियुक्ति दी जावेगी। आवेदक आवेदन करते समय नियुक्ति हेतु एक से अधिक जिलों का प्राथमिकता क्रम दर्शाते हुए चयन कर सकेगा । आवेदक की मेरिट एवं आवेदित जिलों में से प्राथमिकता क्रम अनुसार केवल एक जिले हेतु चयन किया जावेगा ।

(7) आवेदक जिस जिले में नियुक्ति चाहता है उसी जिले की मेरिट सूची में उसके नाम पर विचार किया जायेगा एवं अभ्यार्थी का शारीरिक क्षमता परीक्षण भी उसी संबंधित जिले में आयोजित किया जायेगा जिस जिले में नियुक्ति चाहता है।

1.7.1 पाठ्यक्रम:

वनरक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार 100 अंको की होगी। प्रश्न पत्र हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में रहेगा । परीक्षा की अवधि 2:00 घंटे की होगी।

1.7.2 शारीरिक क्षमता परीक्षण:

(1) शारीरिक क्षमता परीक्षण वन विभाग द्वारा लिया जायेगा, जिसमें वनरक्षक पद के लिये न्यूनतम शारीरिक प्रमाप (स्टेण्डर्ड) निम्नानुसार होगा:-

शारीरिक प्रमाप	ऊंचाई	सीना सामान्य	सीने का न्यूनतम फुलाव
पुरूष	163 से.मी.	79 से.मी.	05 से.मी.
महिला	150 से.मी.	अपेक्षित नहीं	अपेक्षित नहीं

टिप्पणी- (क) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के लिये पुरूष अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 152 सेन्टीमीटर तथा महिला अभ्यार्थी की 145 सेन्टीमीटर होना चाहिये ।

(ख) मध्यप्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीने के फुलाव (Chest Relaxation) में 5 से.मी. का (बिना फुलाए 74 से.मी./फुलाने के पश्चात 79 से.मी.) शिथिलीकरण किया जाएगा।

(ग) अभ्यार्थियों के शारीरिक माप वन विभाग द्वारा गठित एक समिति के द्वारा किया जाएगा। यदि कोई अभ्यार्थी समिति के प्रमाप से संतुष्ट नहीं है तो उसी समय स्थल पर प्रमाप के समय दोबारा प्रमाप कराने के लिए लिखित में अनुरोध कर घोषणा पत्र